

झारखण्ड सरकार  
वित्त विभाग

पत्रांक :- 1130/दा.को.

रॉची, दिनांक :- 18/04/13

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष,  
झारखण्ड रॉची।

**विषय:-राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन निकासी हेतु वेतन पर्ची की अनिवार्यता के संबंध में।**

प्रसंग:-वित्त विभागीय पत्रांक-4142 दिनांक 30.12.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी बिना वेतन पूर्जा के L.P.C. के आधार पर अधिकतम छः माह तक ही की जा सकती है। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राजपत्रित पदाधिकारी वर्षों तक बिना वेतन पूर्जा के वेतन की निकासी करते रहते हैं। वित्त विभाग में ऐसे पदाधिकारी के सेवा अभिलेख/अवकाश लेखा के संधारण में कठिनाई होती है। फलतः पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर सेवान्त लाभों के भुगतान में कठिनाई आने पर वित्त विभाग को अनावश्यक न्यायालयीय वादों का सामना करना पड़ता है जबकि समय पर वेतन पूर्जा प्राप्त नहीं करने के लिए संबंधित पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होते हैं।

अतः अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों/कार्यालयों को निर्देश जारी करें कि राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी किसी भी परिस्थिति में वगैर वेतन पूर्जा के L.P.C. के आधार पर अधिकतम छः माह तक ही किया जा सकेगा। वगैर वेतनपूर्जा के छः माह से अधिक अवधि के लिए वेतन की निकासी वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी जिसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,

ह. / -

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव,  
वित्त विभाग, झारखण्ड रॉची।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापक : 02/विविध-07-22/2013...2622/रॉची, दिनांक .....10-5-13/

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपने परिक्षेत्राधीन सभी कार्यालयों/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से वित्त विभाग, झारखण्ड के द्वारा दिए गए उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव,

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची।